न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाडा जिला डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार न्योल

प्रकरण सख्या:–68 / 13 निर्णय दिनांक:–18.06.2024

1 श्री जयन्तिलाल पिता पुरुषोत्तम पण्ड्या जाति ब्राहमण उम्र 79 वर्ष निवासी सीमलवाड़ा तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।

–वादी

बनाम

1 श्री नरेश पिता कोदरलाल कलाल जाति कलाल उम्र वयस्क निवासी खेडासा हाल निवास धम्बोला तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

2 श्री मान तहसीलदार सीमलवाड जिला डूंगरपुर राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने

वाद अर्न्तगत धारा 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:– श्री बालगोविन्द पाटीदार वादी की ओर से

श्री नरेश जोशी प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ग्राम सीमलवाड़ा का स्थायी निवासी है। वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम धम्बोला में खसरा नम्बर 3659 होकर स्थित है। उक्त आराजी वादी की विरासती खातेदारी आराजी है। वादी की कब्जेशुदा खातेदारी आराजी पर वाद प्रस्तुत करने के दो दिन पूर्व प्रतिवादी संख्या एक ने कब्जा करने की नियत से जबरन उक्त आराजी में घुसकर लाइनिंग डाल दी तथा मटेरियल डाल दिया तथा अवैध निर्माण करने को आमादा हो गया जिस पर वादी ने मना किया, लेकिन प्रतिवादी संख्या एक नहीं माना तथा जबरन निर्माण करने की धमकी देने लगा, जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है जो म्याद अवधि में पेश है। वादी ने वादग्रस्त आराजी ग्राम धम्बोला की आराजी सख्या 3659 का कोई हिस्सा प्रतिवादी सख्या एक को रहन, बक्षीस या विकय नही किया न ही वादी ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी के किसी हिस्से पर निर्माण करने की कोई स्वीकृति दी है। ऐसे में प्रतिवादी संख्या एक को वादग्रस्त आराजी में जबरन निर्माण करने व अतिक्रमण करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है।

प्रतिवादी को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किये जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या एक वादी की कब्जे काश्त की ग्राम धम्बोला की खातेदारी आराजी संख्या 3659 में जबरन निर्माण कार्य न तो स्वयं करें न ही अपने मित्र, एजेन्ट, व मजदूरों से करावें तथा दौराने वाद प्रतिवादी संख्या एक द्वारा वादी की कब्जेशुदा खातेदारी आराजी में जबरन निर्माण कर लिये जाने पर उसे ध्वस्त कर हटाया जाकर कब्जा वादी को सुपूर्द किया जाना आवश्यक हे व अन्य कोई न्यायोचित दाद वादी के पक्ष में हो वो दिलायी जावे। इस प्रकार वादी ने वाद प्रस्तुत कर दाद चाही है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

कमशः पेज दो पर

Scanned with OKEN Scanner

वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या एक ने मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब मय प्रतिदावा प्रस्तुत कर वाद के समस्त तथ्यों को अस्वीकार कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या एक ने दिनांक 15.02.2013 को वादी से वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी ग्राम धम्बोला की आराजी संख्या कमशः 3666, 3667, 3668 व 3669 रकबा कमशः एक बीघा बारह बिस्वा, बारह बिस्वा, एक बीघा एक बिस्वा व छः बिस्वा भूमि कय की थी, जिसका विकय पत्र, श्रीमान उपपंजीयक महोदय सीमलवाडा में सम्पादित करवाया था। उक्त विकय पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया था कि उपरोक्त भूमि में आने जाने हेतु पुर्व में विकय की गई अन्य भूमि में रोड की व्यवस्था की गई है यह बात वादी द्वारा प्रतिवादी के नाम सम्पादीत विकय पत्र के पेज संख्या तीन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है यानि प्रतिवादी संख्या एक को य स्पष्ट प्रकट किया था कि उपरोक्त विकयशुदा भूमि में से किसी प्रकार का पुर्व में कोई रोड नही निकाला गया है तथा भूमि का पुर्ण रकबा विकय किया गया है इस कारण प्रतिवादी ने सम्पूर्ण कयशुदा भूमि का रजिस्ट्री का शुल्क अदा किया जब कि वादी को पुर्व से पता थ कि प्रतिवादी द्वारा कय की गई भूमि में से पुर्व से रोड निकाला हुआ था तथा उसने ये बात प्रतिवादी संख्या एक को नही बताई जिससे विकय किये गये रकबे में से रास्ते की भूमि की कमी पुर्ति हेतु वादी ने वादग्रस्त आराजी नम्बर 3659 में 45 गुणा 193 फीट का कब्जा वादी ने प्रतिवादी को सुपूर्द किया था तथा मौके पर जेसीबी लगाकर वादी ने ही दिनांक 15.02.2013 को खुदाई व अन्य कार्य सम्पादन करवाया था। ऐसे में वादी ने झुठे तथ्य पेश कर वाद प्रस्तुत किया है, जो खारिज किया जावे तथा प्रतिवादी ने प्रतिवाद में निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रतिवादी को विकय की गई भूमि में रास्ता होने से उक्त रास्ते की भूमि के बदले वादी ने प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजी नम्बर 3659 में 45 गुणा 193 फीट का कब्जा वादी ने प्रतिवादी को सुपूर्द किया था तथा मौके पर जेसीबी लगाकर वादी ने ही दिनांक 15.02.2013 को खुदाई व अन्य कार्य सम्पादन करवाया था, जिससे उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या एक के नाम दर्ज की जावे ।

मौजा धम्बोला में स्थित वादग्रस्त आराजी नम्बर 3659 में पूर्व पश्चिम 45 गुणा उत्तर दक्षिण 193 फीट का प्रतिवादी नरेश को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा विधिक कब्जा घोषित किया जावे तथा वादी को जरिये स्थायी निषेधज्ञा इस बात के लिये पाबंद किया जावे कि वह मौजा धम्बोला में स्थित वादग्रस्त आराजी नम्बर 3659 में पूर्व पश्चिम 45 गुणा उत्तर दक्षिण 193 फीट में प्रतिवादी के स्वामित्व, उपयोग उपभोग में रुकावट पैदा नही करें तथा उक्त आराजी किसी अन्य को रहन बक्षीस विकय नहीं करे ना ही कोई ऐसा दस्तावेज सम्पादित करे कि उक्त भूमि का कोई हिस्सा हंस्तान्तरित माना जावे।

वादी द्वारा प्रतिवादी के प्रतिवाद का जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवाद के सभी तथ्यों को अस्वीकार कर निवेदन किया कि वादी द्वारा जो जमीन प्रतिवादी को विकय की उस जमीन का वादी ने प्रतिवादी के नाम विकय पत्र संपादीत कर दिया है तथा वादग्रस्त आराजी का कोई हिस्सा वादी ने प्रतिवादी को हस्तांतरित नहीं किया है, प्रतिवादी ने जबरन झगड़ा फसाद कर नींव खोदी है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी ने प्रतिवादी संख्या एक

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

कमशः पेज तीन पर

Scanned with OKEN Scanner

के विरुद्ध दर्ज करवायी थी। प्रतिवादी संख्या एक का वादगस्त आराजी में कोई विधिक अधिकार नहीं है कि वो वादग्रस्त आराजी में जबरन निर्माण कार्य करे या वादी को उपयोग उपभोग में रुकावट पैदा करें। वादी के वाद व प्रतिवादी जवाब दावे व प्रतिवाद व वादी के जवाब के अनुसार निम्न तनकियात कायम की गई–

1 आया वादी प्रतिवादी के वाके ग्राम धम्बोला के खसरा नम्बर 3659 में जबरन निर्माण कार्य स्वयं अथवा अपने मित्र एजेन्ट के मार्फत नहीं करवाने का अधिकारी है ।

–जिम्मे वादी

2 आया वादी प्रतिवादीस. एक द्वारा विवादीत भूमि पर जबरन निर्माण/अतिक्रमण कर लिये जाने पर प्रतिवादी दो के सहयोग से नियमानुसार कार्यवाही कर हटवाने का अधिकारी है।

–जिम्मे वादी

3 आया वादी द्वारा प्रतिवादी को विकय की गई भूमि में खसरा नम्बर 3659 का कुछ रकबा भी सुपूर्द किया गया था।

–जिम्मे प्रतिवादी

4 आया प्रतिवादी विकय पत्र संपादन के बाद से ही आराजी नम्बर 3659 रकबा 45 गुणा 193 वर्गफिट पर कब्जे के आधार पर खातेदार काश्तकार धोषित किये जाने का अधिकारी हे ।

–जिम्मे प्रतिवादी

5 अनुतोष–

तनकियात कायम करने के बाद पत्रावली को वास्ते साक्ष्य नियत किया गया दौराने साक्ष्य प्रतिवादी संख्या एक द्वारा प्रार्थना पत्र ऑडर 14 रूल 5 प्रस्तुत कर तनकीयात पर आपत्ति पेश कर संशोधित तनकीयात कायम करने का व प्रार्थना पत्र ऑडर 11 रूल 12 व 14 सपठीत धारा 151 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज तलब करने का निवेदन किया गया जिसकी प्रति वकील प्रतिवादी को दी गई जिन्होने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस सुनकर व पत्रावली का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र ऑडर 14 रूल 5 स्वीकार किया जाकर संशोधित तनकी कायम करने का आदेश दिया गया तथा प्रार्थना पत्र ऑडर 11 रूल 12 व 14 सपठीत धारा 151 जाप्ता दीवानी के तहत दस्तावेत तलब करना उचित नही होने के कारण प्रार्थना खारीज किया गया तथा पत्रावली को वास्ते संशोधित तनकीयात कायम करने साक्ष्य रखी गई।

वादी के वाद व प्रतिवादी जवाब दावे व प्रतिवाद व वादी के जवाब के अनुसार निम्न तनकियात कायम की गई–

1 आया वादी प्रतिवादी के वाके ग्राम धम्बोला के खसरा नम्बर 3659 में जबरन निर्माण कार्य स्वंय अथवा अपने मित्र एजेन्ट के मार्फत नही करवाने का अधिकारी है ।

–जिम्मे वादी

2 आया वादी प्रतिवादी सं. एक द्वारा विवादीत भूमि पर जबरन निर्माण/अतिक्रमण कर लिये जाने पर प्रतिवादी दो के सहयोग से नियमानुसार कार्यवाही कर हटवाने का अधिकारी है।

–जिम्मे वादी

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

कमशः पेज चार पर

Scanned with OKEN Scanner

3 आया वादी द्वारा प्रतिवादी को जो आराजी विकय की गई थी उसमें विकय से पूर्व ही रास्ता निकल गया था इस बात की जानकारी वादी ने प्रतिवादी को नही दी थी।

–जिम्मे प्रतिवादी

4 आया विकय की जाने वाली भूमि का कुछ हिस्सा रोड में चले जाने से तथा वादी द्वारा भूमि का रकबा पुर्ण करने विकय की जाने वाली भूमि का भूमि का हिस्सा बताकर आराजी नम्बर 3659 के कुछ हिस्से 45 गुणित 193 फीट पर प्रतिवादी नरेश को कब्जा सुपूर्द किया था।

–जिम्मे प्रतिवादी

5 अनुतोष–

वादी ने अपने समर्थन में निम्नलिखित मौखिक, लिखित दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए।

1 पीडब्लयु–1– श्री जयन्तिलाल पिता पुरुषोतम पण्डया निवासी सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

2 पीडब्लयु–2– श्री रजनीकान्त पिता विठ्ठलदास ब्राहमण निवासी सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

प्रदर्श– 1 सम्वत 2067–2070 की जमाबंदी नकल

प्रदर्श– 2 प्रथम सुचना रिपोर्ट

प्रदर्श –3 अन्तिम रिपोर्ट

प्रदर्श 4 प्रसड़ांन आदेश

प्रदर्श –5 नक्षा मौका

प्रदर्श –6 बयान प्रकाशचन्द्र

प्रदर्श –7 बयान रजनीकान्त

प्रदर्श –8 बयान हरिप्रसाद

उक्त बयानों में बताया की वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम धम्बोला में खसरा नम्बर 3659 होकर स्थित है। उक्त आराजी वादी की विरासती खातेदारी आराजी है। वादी की कब्जेशुदा खातेदारी आराजी पर वाद प्रस्तुत करने के दो दिन पूर्व प्रतिवादी संख्या एक ने कब्जा करने की नियत से जबरन उक्त आराजी में घुसकर लाइनिंग डाल दी तथा मटेरियल डाल दिया तथा अवैध निर्माण करने को आमादा हो गया जिस पर वादी ने मना किया लेकिन प्रतिवादी संख्या एक नही माना तथा जबरन निर्माण करने की धमकी देने लगा जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है जो म्याद अवधि में पेश है। वादी ने वादग्रस्त आराजी ग्राम धम्बोला की आराजी संख्या 3659 का कोई हिस्सा किसी प्रतिवादी संख्या एक को रहन, बक्षीस या विकय नहीं किया न ही वादी ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी के किसी हिस्से पर निर्माण करने की कोई स्वीकृति दी है। ऐसे में प्रतिवादी संख्या एक को वादग्रस्त आराजी में जबरन निर्माण करने व अतिकमण करने का कोई विधिक अधिकार नही है तथा पत्रावली में प्रस्तुत किये गये दस्तावेज प्रदर्श दो, चार व पांच से ये प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी संख्या एक द्वारा दौराने वाद वादग्रस्त आराजी में 45 गुणा 193 वर्गफिट भूमि पर परकोटा व टेंक निर्मित कर लिया है जिसे ध्वस्त कर हटाया जाकर कब्जा वादी को सुपुर्द किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किये जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या एक वादी की कब्जेकाश्त की ग्राम धम्बोला की खातेदारी आराजी संख्या 3659 में जबरन निर्माण कार्य स्वंय करे न ही अपने

कमशः पेज पांच पर

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

मित्र, एजेन्ट, व मजदूरों से कराने तथा दौराने वाद प्रतिवादी संख्या एक द्वारा वादी की कब्जेशुदा खातेदारी आराजी में जबरन निर्माण कर निर्मित किये परकोटे व टैंक को ध्वस्त कर हटाया जाकर कब्जा वादी को सुपुर्द किया जाना आवश्यक है।

साक्ष्य वादी बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी नियत की गई। दौराने साक्ष्य प्रतिवादी, प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 13 रुल 10 व आर्डर 16 रुल 6 जाब्ता दिवानी के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर तहसीलदार सीमलवाडा व पटवारी धम्बोला से दस्तावेज पर्चा मौका ,नजरी नक्शा व आवेदन तलब करने का निवेदन किया, जिसकी प्रति वकील वादी को दी गई, जिसका वकील वादी ने जवाब देकर प्रार्थना पत्र खरीज करने का निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस सुनकर व पत्रावली का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र आर्डर 13 रुल 10 व आर्डर 16 रुल 6 जाब्ता दिवानी स्वीकार किया जाकर दस्तावेज तलब करने का आदेश दिया गया।

दिनांक 05.03.2020 को तहसीलदार सीमलवाडा ने जवाब प्रस्तुत कर बताया की पर्चा मौका व नक्षा ट्रैस दिनांक 02.01.2009 रिकोर्ड में उपलब्ध नहीं है। जिसकी जानकारी उभयपक्ष को करवाने पर प्रतिवादी वकील ने प्रार्थना पत्र आर्डर 13 रुल 10 व आर्डर 16 रुल 6 जाब्ता दिवानी का पेश कर निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट को पत्रावली पर लिया जाकर तत्कालीन पटवारी योगराजसिंह को तलब किया जावे जिसकी नकल वकील वादी को दी गई। उभय पक्ष की बहस सुनकर व पत्रावली का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र आर्डर 13 रुल 10 व आर्डर 16 रुल 6 जाब्ता दिवानी खारीज किया गया।

वकील प्रतिवादी संख्या एक के वकील ने धारा 65 साक्ष्य अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पेश कर पर्चा मौका को द्वितीयक साक्ष्य में ग्रहण किये जाने का निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस सुनकर व पत्रावली का अवलोकन कर प्रार्थना पत्रधारा 65 साक्ष्य अधिनियम खरीज किया गया। जिसकी निगरानी प्रतिवादी संख्या एक द्वारा श्रीमान् निबन्धक महोदय राजस्व मण्डल अजमेर के न्यायालय में की गई जिससे पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर तलब करने पर भेजी गई। राजस्व मण्डल अजमेर में प्रतिवादी की निगरानी खारीज होने पर पत्रावली वापस प्राप्त हुई, जिस पर पत्रावली दर्ज कर पूर्व आदेशानुसार वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रतिवादी ने अपने समर्थन में निम्नलिखित मौखिक, लिखित साक्ष्य पेश किए।

1 श्री नरेश कलाल पिता कोदरलाल कलाल निवासी खेडासा हाल धम्बोला तहसिल सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राज.

प्रतिवादी ने अपने साक्ष्य में बताया कि प्रतिवादी संख्या एक ने दिनांक 15.02.2013 को वादी से वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी ग्राम धम्बोला की आराजी संख्या कमशः 3666, 3667, 3668 व 3669 रकबा कमशः एक बीघा बारह बिस्वा, बारह बिस्वा, एक बीघा एक बिस्वा व छः बिस्वा भूमि कय की थी, जिसका विकय पत्र श्रीमान् उपपंजीयक महोदय सीमलवाडा में सम्पादित करवाया था। उक्त विकय पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया था कि उपरोक्त भूमि में आने जाने हेतु पूर्व में विकय की गई अन्य भूमि में रोड की व्यवस्था की गई है यह बात वादी द्वारा प्रतिवादी के नाम सम्पादित विकय पत्र के पेज संख्या तीन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है यानि

... किया था कि उपरोक्त विक्रयशुदा

Scanned with OKEN Scanner

भूमि में से किसी प्रकार का पूर्व में कोई रोड नही निकाला गया है तथा भूमि का पूर्ण रकबा विकय किया गया है। इस कारण प्रतिवादी ने सम्पूर्ण कयशुदा भूमि का रजिस्टी का शुल्क अदा किया जबकि वादी को पूर्व से पता था कि प्रतिवादी द्वारा कय की गई भूमि में से पूर्व से रोड निकाला हुआ था तथा उसने ये बात प्रतिवादी संख्या एक को नही बताई, जिससे विकय किये गये रकबे में से रास्ते की भूमि की कमी पूर्ति हेतु वादी ने वादग्रस्त आराजी नम्बर 3659 में 45 गुणा 193 फीट का कब्जा वादी ने प्रतिवादी को सुपूर्द किया था तथा मौके पर जेसीबी लगाकर वादी ने ही दिनांक 15.02.2013 को खुदाई व अन्य कार्य सम्पादन करवाया था ऐसे में वादी ने झुठे तथ्य पेश कर वाद प्रस्तुत किया है जो खारिज किया जावे तथा प्रतिवादी ने प्रतिवाद में निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रतिवादी को विकय की गई भूमि में रास्ता होने से उक्त रास्ते की भूमि के बदले वादी ने प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजी नम्बर 3659 में 45 गुणा 193 फीट का कब्जा वादी ने प्रतिवादी को सुपूर्द किया था तथा मौके पर जेसीबी लगाकर वादी ने ही दिनांक 15.02.2013 को खुदाई व अन्य कार्य सम्पादन करवाया था जिससे उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या एक के नाम दर्ज की जावे।

मौजा धम्बोला में स्थित वादग्रस्त आराजी नम्बर 3659 में पूर्व पश्चिम 45 गुणा उत्तर दक्षिण 193 फीट का प्रतिवादी नरेश को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा विधिक कब्जा घोषित किया जावे तथा वादी को जरीये स्थायी निषेधज्ञा इस बात के लिये पाबंद किया जावे कि वह मौजा धम्बोला में स्थित वादग्रस्त आराजी नम्बर 3659 में पूर्व पश्चिम 45 गुणा उत्तर दक्षिण 193 फीट में प्रतिवादी के स्वामित्व, उपयोग उपभोग में रुकावट पैदा नही करे तथा उक्त आराजी किसी अन्य को रहन बक्षीस विकय नही करे ना ही कोई ऐसा दस्तावेज सम्पादित करे की उक्त भूमि का कोई हिस्सा हंस्तान्तरित माना जावे।

प्रतिवादी ने अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा जिससे साक्ष्य प्रतिवादी बन्द कर पत्रावली अन्तिम बहस हेतु रखी गई। विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। अधिवक्ता वादी ने बहस में बताया कि वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम धम्बोला में खसरा नम्बर 3659 होकर स्थित है। उक्त आराजी वादी की विरासती खातेदारी आराजी है। वादी की कब्जेशुदा खातेदारी आराजी पर वाद प्रस्तुत करने के दो दिन पूर्व प्रतिवादी संख्या एक ने कब्जा करने की नियत से जबरन उक्त आराजी में घुसकर लाइनिंग डाल दी तथा मटेरियल डाल दिया तथा अवैध निर्माण करने को आमादा हो गया जिस पर वादी ने मना किया लेकिन प्रतिवादी संख्या एक नही माना तथा जबरन निर्माण करने की धमकी देने लगा। जिससे वाद प्रस्तत करना आवश्यक हो गया है जो म्याद अवधि में पेश है। वादी ने वादग्रस्त आराजी ग्राम धम्बोला की आराजी संख्या 3659 का कोई हिस्सा किसी प्रतिवादी संख्या एक को रहन, बक्षीस या विकय नही किया न ही वादी ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी के किसी हिस्से पर निर्माण करने की कोई स्वीकृति दी है। ऐसे में प्रतिवादी संख्या एक को वादग्रस्त आराजी में जबरन निर्माण करने व अतिकमण करने का कोई विधिक अधिकार नही है तथा वाद में प्रस्तुत दस्तावेजों से ये साबित होता है कि दौराने वाद प्रतिवादी संख्या एक द्वारा दौराने वाद वादग्रस्त आराजी 3659 में पूर्व पश्चिम 45 गुणा उत्तर दक्षिण 193 फीट पर जबरन परकोटा व टेंक निर्मित कर लिया है जिसे ध्वस्त कर हटाया जाकर कब्जा वादी को सुपुर्द किया जाना आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

कमशः पेज सात पर

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किये जाना आवश्यक हैकि प्रतिवादी संख्या एक वादी की कब्जेकाश्त की ग्राम धम्बोला की खातेदारी आराजी संख्या 3659 में जबरन निर्माण कार्य स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेन्ट व मजदूरों से करावे तथा दौराने वाद प्रतिवादी संख्या एक द्वारा वादी की कब्जेशुदा खातेदारी आराजी में जबरन निर्माण कर निर्मित किये परकोटे व टैंक को ध्वस्त कर हटाया जाकर कब्जा वादी को सुपुर्द किया जाना आवश्यक है।

वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में बताया कि प्रतिवादी संख्या एक ने दिनांक 15.02.2013 को वादी से वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी ग्राम धम्बोला की आराजी संख्या क्रमशः 3666, 3667, 3668 व 3669 रकबा क्रमशः एक बीघा बारह बिस्वा, बारह बिस्वा, एक बीघा एक बिस्वा व छः बिस्वा भूमि क्रय की थी जिसका विक्रय पत्र श्रीमान् उपपंजीयक महोदय सीमलवाड़ा में सम्पादीत करवाया था। उक्त विक्रय पत्र मे स्पष्ट उल्लेख किया था कि उपरोक्त भूमि में आने जाने हेतु पूर्व मे विक्रय की गई अन्य भूमि मे रोड की व्यवस्था की गई है, यह बात वादी द्वारा प्रतिवादी के नाम सम्पादित विक्रय पत्र के पेज संख्या तीन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है यानि प्रतिवादी संख्या एक को यह स्पष्ट प्रकट किया था कि उपरोक्त विक्रयशुदा भूमि में से किसी प्रकार का पूर्व में कोई रोड नही निकाला गया है तथा भूमि का पूर्ण रकबा विक्रय किया गया है। इस कारण प्रतिवादी ने सम्पुर्ण क्रयशुदा भूमि का रजिस्टी का शुल्क अदा किया जब कि वादी को पूर्व से पता था कि प्रतिवादी द्वारा क्रय की गई भूमि में से पूर्व से रोड निकाला हुआ था तथा उसने ये बात प्रतिवादी संख्या एक को नही बताई जिससे विक्रय किये गये रकबे में से रास्ते की भूमि की कमी पूर्ति हेतु वादी ने वादग्रस्त आराजी नम्बर 3659 में पूर्व पश्चिम 45 गुणा उत्तर दक्षिण 193 फीट का कब्जा वादी ने प्रतिवादी को सुपूर्द किया था तथा मौके पर जेसीबी लगाकर वादी ने ही दिनांक 15.02.2013 को खुदाई व अन्य कार्य सम्पादन करवाया था, ऐसे में वादी ने झूठे तथ्य पेश कर वाद प्रस्तुत किया है जो खारीज किया जावे तथा प्रतिवादी ने प्रतिवाद में निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रतिवादी को विक्रय की गई भूमि में रास्ता होने से उक्त रास्ते की भूमि के बदले वादी ने प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजी नम्बर 3659 में 45 गुणा 193 फीट का कब्जा वादी ने प्रतिवादी को सुपूर्द किया था तथा मौके पर जेसीबी लगाकर वादी ने ही दिनांक 15.02.2013 को खुदाई व अन्य कार्य सम्पादन करवाया था, जिससे उक्त आराजी प्रविादी संख्या एक के नाम दर्ज की जावे तथा मौके पर कब्जा प्रतिवादी का है ऐसे में वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा वादी ने अपने वाद कब्जा प्राप्त करने की कोई दाद नही चाही है इसलिये वादी कब्जा प्राप्त करने का कोई अधिकारी नही है।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी व बहस पर मनन किया तनकी वार निर्णय करना उचित समझता हुं।

तनकी नम्बर 1

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी का कथन है वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम धम्बोला में खसरा नम्बर 3659 होकर स्थित है। उक्त आराजी वादी की विरासती खातेदारी आराजी है। वादी की कब्जेशुदा खातेदारी आराजी पर वाद प्रस्तुत करने के दो दिन

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

क्रमशः पेज आठ पर

Scanned with OKEN Scanner

पूर्व प्रतिवादी संख्या एक ने कब्जा करने की नियत से जबरन उक्त आराजी में घुसकर लाइनिंग डाल दी तथा मटेरियल डाल दिया तथा अवैध निर्माण करने को आमादा हो गया जिस पर वादी ने मना किया लेकिन प्रतिवादी संख्या एक नही माना तथा जबरन निर्माण करने की धमकी देने लगा। वादी ने वादग्रस्त आराजी ग्राम धम्बोला की आराजी संख्या 3659 का कोई हिस्सा किसी प्रतिवादी संख्या एक को रहन, बक्षीस या विक्रय नही किया न ही वादी ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी के किसी हिस्से पर निर्माण करने की कोई स्वीकति दी है ऐसे में प्रतिवादी संख्या एक को वादग्रस्त आराजी में जबरन निर्माण करने व अतिक्रमण करने का कोई विधिक अधिकार नही है ऐसे में वादग्रस्त जमीन वादी के कब्जेकाश्त की खातेदारी आराजी होना सावित होता है जबकि प्रतिवादी संख्या एक ने कथन किया कि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या एक को विकय की गई आराजी संख्या 3666, 3667, 3668 व 3669 में से रास्ते की भूमि की कमी पुर्ति हेतु वादी ने वादग्रस्त आराजी नम्बर 3659 में पूर्व पश्चिम 45 गुणा उत्तर दक्षिण 193 फीट का कब्जा वादी ने प्रतिवादी को सुपूर्द किया था तथा मौके पर जेसीबी लगाकर वादी ने ही दिनांक 15.02.2013 को खुदाई व अन्य कार्य सम्पादन करवाया था उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या एक का कब्जा होने का कथन किया है लेकिन प्रतिवादी संख्या एक ने ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे ये साबित हो कि वादग्रस्त आराजी का कोई हिस्सा वादी ने प्रतिवादी संख्या एक को हंस्तान्तरित किया हो या प्रतिवादी संख्या एक का वादग्रस्त जमीन पर कोई हक साबित होता हो वाद ग्रस्त आराजी संख्या 3659 वादी के कब्जेशुदा खातेदारी आराजी है ऐसे में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बिना किसी हक व अधिकार से वादी की खातेदारी में जबरन अतिकमण करना व काश्त में रुकावट पैदा करना साबित होता है ऐसे में प्रतिवादी संख्या एक को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द करना उचित समझता हु कि प्रतिवादी संख्या एक वादी की खातेदारी आराजी 3659 में जबरन अतिक्रमण व वादी को काश्त करने में रुकावट पैदा ना तो स्वय करे ना ही अपने मित्र, एजेण्ट व मजदुरो से करावे अतः इस तनकी का निर्णय बहक वादी के पक्ष में किया जाता है।

तनकी संख्या 2–

इस तनकी को साबित करने का भार भी वादी पर है। वादी कथन है कि पत्रावली में प्रस्तुत किये गये दस्तावेज प्रदर्श दो, चार व पांच से ये प्रमाणित होता है कि दौराने वाद प्रतिवादी संख्या एक द्वारा दौराने वाद वादग्रस्त आराजी 3659 में पूर्व पश्चिम 45 गुणा उत्तर दक्षिण 193 फीट पर जबरन परकोटा व टेंक निर्मित कर लिया है, जिसे ध्वस्त कर हटाया जाकर कब्जा वादी को सुपुर्द किया जाना आवश्यक है तथा प्रतिवादी संख्या एक ने कथन किया कि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या एक को विक्रय किये गई आराजी संख्या 3666, 3667, 3668 व 3669 में से रास्ते की भूमि की कमी पुर्ति हेतु वादी ने वादग्रस्त आराजी नम्बर 3659 में पूर्व पश्चिम 45 गुणा उत्तर दक्षिण 193 फीट का कब्जा वादी ने प्रतिवादी को सुपूर्द किया था तथा मौके पर जेसीबी लगाकर वादी ने ही दिनांक 15.02.2013 को खुदाई व अन्य कार्य सम्पादन करवाया था लेकिन प्रतिवादी संख्या एक द्वारा ने

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

कमशः पेज नौ पर

पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज प्रुस्तत नही किया है कि जिससे ये साबित हो कि प्रतिवादी संख्या एक का वादग्रस्त जमीन वाद प्रस्तुत करने के पूर्व से कब्जा हो जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज दस्तावेज प्रदर्श दो, चार व पांच से ये प्रमाणित होता है कि दौराने वाद प्रतिवादी संख्या एक द्वारा दौराने वाद वादग्रस्त आराजी 3659 में पूर्व पश्चिम 45 गुणा उत्तर दक्षिण 193 फीट पर जबरन परकोटा व टैंक निर्मित कर लिया है जिसे ध्वस्त कर हटाया जाना उचित समझता हुं ऐसे में तनकी संख्या 2 का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है।

तनकी संख्या –3

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या एक पर है। प्रतिवादी संख्या एक ने कथन किया कि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या एक को विक्रय किये गई आराजी संख्या 3666, 3667, 3668 व 3669 में से रास्ते की भूमि की कमी पूर्ति हेतु वादी ने वादग्रस्त आराजी नम्बर 3659 में पूर्व पश्चिम 45 गुणा उत्तर दक्षिण 193 फीट का कब्जा वादी ने प्रतिवादी को सुपूर्द किया था तथा मौके पर जेसीबी लगाकर वादी ने ही दिनांक 15.02.2013 को खुदाई व अन्य कार्य सम्पादन करवाया था लेकिन प्रतिवादी संख्या एक ने ऐसा कोई दस्तावेश पेश नहीं किया है कि जिससे ये साबित होता हो कि पूर्व में विक्रय की गई भूमि में कोई रास्ता हो। अतः तनकी संख्या तीन का निर्णय प्रतिवादी संख्या एक के विरुद्ध किया जाता है।

तनकी संख्या – 4

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या एक पर है। प्रतिवादी संख्या एक ने कथन किया कि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या एक को विक्रय किये गई आराजी संख्या 3666, 3667, 3668 व 3669 में से रास्ते की भूमि की कमी पुर्ति हेतु वादी ने वादग्रस्त आराजी नम्बर 3659 में पूर्व पश्चिम 45 गुणा उत्तर दक्षिण 193 फीट का कब्जा वादी ने प्रतिवादी को सुपूर्द किया था तथा मौके पर जेसीबी लगाकर वादी ने ही दिनांक 15.02.2013 को खुदाई व अन्य कार्य सम्पादन करवाया था, जिसके आधार पर कब्जा प्रतिवादी संख्या एक का है लेकिन प्रतिवादी संख्या एक ने अपने प्रतिवाद के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे ये साबित हो कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी का कोई हिस्सा प्रतिवादी संख्या एक को हंस्तान्तरित किया हो, जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से साबित होता हैकि वादी वाद ग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर वादी का कब्जा है दौराने वाद प्रतिवादी संख्या एक द्वारा जबरन वादग्रस्त भूमि नम्बर 3659 में पूर्व पश्चिम 45 गुणा उत्तर दक्षिण 193 फीट पर अवेध कब्जा किया है। अतः तनकी संख्या तीन का निर्णय प्रतिवादी संख्या एक के विरुद किया जाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद डिकी किया जाकर प्रतिवादी संख्या एक को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या एक, वादी की खातेदारी आराजी 3659 में जबरन अतिकमण व वादी के काश्त करने में रुकावट पैदा ना तो स्वयं करे ना ही अपने मित्र, एजेण्ट व मजदूरो से करावे तथा दौराने वाद प्रतिवादी संख्या एक द्वारा वादग्रस्त आराजी 3659 में पूर्व पश्चिम 45 गुणा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

कमशः पेज दस पर

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर दक्षिण 193 फीट पर जबरन परकोटा व टेंक निर्मित कर किये गये अतिकमण को ध्वस्त कर हटाया जाकर प्रतिवादी संख्या दो नियमानुसार हटाकर कब्जा वादी को सुपूर्द करे । डिकी पर्चा कायम हो।

राकेश कुमार न्योल
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

निर्णय आदेश आज दिनांक 18.06.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राकेश कुमार न्योल
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसीजरकोड, एपेन्डियस डी–1)

अज अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

इजलास श्री उपखंड अधिकारी श्री राकेश कुमार न्योल सीमलवाडा

प्रकरण सख्या:–68 / 13

श्री जयन्तिलाल बनाम श्री नरेश वगैरह

वाद बाबत:वाद पत्र अर्न्तगत धारा 188 व 209 रा.टी.एक्ट

यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रुबरू:–श्री राकेश कुमार न्योल

व हाजरी:–

श्री बालगोविन्द पाटीदार मिनजानिब मुदई उपस्थित व श्री नरेश जोशी मिनजानिब मुदायलाह उपस्थित होकर हुक्म दिया जाता है डिकी दी जाती है कि–

प्रतिवादी संख्या एक को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या एक, वादी की खातेदारी आराजी 3659 में जबरन अतिक्रमण व वादी को काश्त करने में रूकावट पैदा न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेंट व मजदूरों से करावे तथा दौराने वाद प्रतिवादी संख्या एक द्वारा वादग्रस्त आराजी 3659 में पूर्व पश्चित 45 गुणा उत्तर दक्षिण 193 फीट पर जबरन परकोटा व टेंक निर्मित कर किये गये अतिक्रमण को ध्वस्त कर हटाया जाकर प्रतिवादी संख्या दो नियमानुसार हटाकर कब्जा वादी को सुपूर्द करे।

दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 18.06.2024 को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी ....

ओहदा सीमलवाडा ....

मुदई	रूपया / पैसा	मुदायलाह	रूपया / पैसा
स्टाम्प अरजी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प व जेह सबुत		मेंहनतनामा वकील	
मेंहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फिस कमिश्नर	
खर्चा गवाहान		बाबत इजराय	
बबत इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा		मुतफरिक	
मुतफरिक			
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा